राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांक : प.8(23) प.आ. / RSMSSB / पटवारी (मुख्य) / 2016/1067 दिनांक 30.06.2016

विज्ञप्ति

"पटवारी सीधी भर्ती (मुख्य) परीक्षा, 2016" के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि

1. परीक्षा दिनांक 10.07.2016 (रविवार) को मध्यान्ह 12.00 बजे से मध्यान्ह पश्चात् 03.00 बजे तक आयोजित होगी।
2. "प्रोविजनल ई– प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** से दिनांकः 01.07.2016 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें । बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से डाक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे ।
3. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
4. परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 10.30 बजे अपनी उपस्थिति देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यथा वोटर आई.डी. कार्ड, पेनकार्ड, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से कोई एक और **2.5cm×2.5cm** साईज का नवीनतम एक रंगीन फोटो, एक नीली स्याही का पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें ।
6. परीक्षा केन्द्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
7. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर / खड़े होकर यात्रा नहीं करे। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

8. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अस्पष्टता के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्त होने के 72 घण्टे के भीतर बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, मय प्रमाण अपलोड कर सकते हैं ।

9. पटवारी पद की भर्ती में विशेषयोग्यजन के लिए कोई आरक्षण नहीं है । फिर भी यदि किसी ऐसे विशेषयोग्यजन ने सामान्य कोटे में आवेदन किया हो, जिन्हें नियमों में श्रुतलेखक देय है, तो वे चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी ।

10. पटवारी सीधी भर्ती (मुख्य) परीक्षा के लिए निम्न ड्रेस कोड निर्धारित है :–

1. पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी–शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आयेंगे।
2. महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा कर आवेंगी।
3. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूशा में बड़ी बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
4. परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
5. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
6. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुऐ अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

उक्त ड्रेस कोड़ में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।

11. पटवारी सीधी भर्ती (मुख्य) परीक्षा के लिए जयपुर एवं उदयपुर जिले से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई की स्थिति में निम्न दूरभाषों पर सम्पर्क किया जा सकता है :–

कार्यालय	समन्वयक	मोबाईल नं.	कन्ट्रोल रूम
जिला कलक्टर, जयपुर	डॉ बी.डी. कुमावत, अति. जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर–पूर्व जयपुर	9414523666	0141–5111049
जिला कलक्टर, उदयपुर	श्री छोगाराम देवासी, अति0 जिला कलक्टर, उदयपुर	9828844404	0294–2413278

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें ।

सचिव